प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2025

विषय: दिनांक 19 अक्टूबर, 2025 को दीपोत्सव-2025 के अवसर पर अयोध्या में पुष्प वर्षा हेतु किराये पर लिये गये हेलीकाप्टर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/ना0उ0नि0/आप्स-51/2023, दिनांक 02.12.2025 एवं पत्र संख्या-266/ना0उ0नि0/आप्स-51/2023, दिनांक 21.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2025 को दीपोत्सव-2025 के अवसर पर अयोध्या में पुष्प वर्षा हेतु M/s Arrow Aircraft Sales and Charters Pvt. Ltd. से उनके AS350 B3 Single Engine हेलीकाप्टर की सेवाएँ प्राप्त किये जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्राप्त इन्वाईस संख्या DL/25-26/OCT/11 दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के अनुसार कुल धनराशि रू0 19,61,106/- (रूपये उन्नीस लाख इकसठ हज़ार एक सौ छह मात्र) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 19 अक्टूबर, 2025 को दीपोत्सव-2025 के अवसर पर अयोध्या में पुष्प वर्षा हेतु M/s Arrow Aircraft Sales and Charters Pvt. Ltd. से उनके AS350 B3 Single Engine हेलीकाप्टर की सेवाएँ प्राप्त किये जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्राप्त इन्वाईस संख्या DL/25-26/OCT/11 दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के अनुसार कुल धनराशि रू0 19,61,106/- (रूपये उन्नीस लाख इकसठ हज़ार एक सौ छह मात्र) का भुगतान किए जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत "राजस्व लेखा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप-6/2025/बी-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या-121/2025/1557/2025/छप्पन-2025 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।